हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 85वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16–01–2026 का कार्यवृत्त।

प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16–01–2026 को मा0 अध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में आयोजित की गयी :–

<u>बैठक की उपस्थिति</u> :–

1. श्री विनय शंकर पाण्डेय, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / अध्यक्ष,एच.आर.डी.ए.	अध्यक्ष
2. श्रीमती सोनिका, उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0	उपाध्यक्ष
3. डा0 ललित नारायण मिश्रा, सी0डी0ओ0 (जिलाधिकारी, हरिद्वार के प्रतिनिधि)।	पदेन सदस्य
4. श्री नन्दन कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार	पदेन सदस्य
5. श्री बी0एल0राणा, अपर कार्यकारी अधिकारी (सचिव, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
6. श्री रजनीश जैन, उप सचिव, (प्रमुख सचिव, आवास विभाग के प्रतिनिधि.)	पदेन सदस्य
7. श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, सी.टी.सी.पी.(नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)	पदेन सदस्य
8. श्री शिवेन्द्र कुमार ,कोषाधिकारी, (सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
9. श्री मनोज कुमार सिंह, अधीक्षण अभियन्ता (सचिव, सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
10.श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर	पदेन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :–

<u>मद संख्या–85 (01):–</u> प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19–06–2025 के कार्यवृत्त /अनुपालना की पुष्टि की गई।

Secretary   Vice Chirman   Chairman/Commissioner

मद संख्या–85 (02) प्राधिकरण की 84 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19–06–2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है :–

क्र.	बैठक/मद	विषय	बोर्ड का निर्णय
01	80(02)	70(10)मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 116/2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मौ0 कड़च्छ से लगाकर गुरूद्वारा रोड़ ज्वालापुर तक नाले का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	बोर्ड द्वारा कार्यदायी संस्था को अवशेष कार्य की प्रगति रिपोर्ट मय फोटोग्राफ / बीडियों /ड्रोन सर्वे सहित साप्ताहिक रूप से उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने व तदनुसार माह जनवरी 2026 तक कार्य समाप्ति के निर्देश दिये गये।
02	81(2) / 72(05)	72(05) प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक भाग–2 में 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण सम्बन्धी।	बोर्ड द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्मित भवनों में इंगित कमियों का निराकरण माह फरवरी, 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है।
03	81(2)/ 72(10)	**72(10)** प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्डों /भवनों के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क को संशोधित करने एवं बकाया अनुरक्षण शुल्क सम्बन्धी।	बोर्ड द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार को ड्रेनेज व्यवस्था हेतु डी0पी0आर0 प्राधिकरण उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने तथा अवस्थापना विकास निधि से रू 25.00 लाख नगर निगम हरिद्वार को तत्काल हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करते हुए माह फरवरी 2026 तक हस्तान्तरण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
04	81(2) 74(12)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।
05	81(2) 75(09)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।
06	81(2) 77(14)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।
07	81(2) 77(16		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।

Secretary   Vice Chirman   Sd Chairman /Commissioner

क्र.	बैठक/मद		बोर्ड का निर्णय
08	81(2) 78(03)	78(03) शमन उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे भू–विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है, प्राधिकरण अपने स्तर से दरें जो उक्त क्रमांक 09 में निर्दिष्ट को दुगने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित किये जाने के सम्बन्धी।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से उक्त सर्वेक्षण कार्य माह फरवरी 2026 तक कराये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये ।
09	81(2) 80(21)	आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत निर्मित गोदाम/भण्डार केन्द्र के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में माह फरवरी तक सर्वे कार्य पूर्ण कराते हुए तदनुसार शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।
10	81(2) 80(22)	सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक एवं कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत निर्मित गोदाम/वेयर हाउस/भण्डार केन्द्र के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में माह फरवरी 2026 तक सर्वे कार्य पूर्ण कराते हुए शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।
11	81(2) 80(23)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
12	81(6)	हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण की स्वामित्व वाली परियोजनाओं को विक्रय किये जाने हेतु मार्केटिंग कंसलटेन्सी/एजेन्सी को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुबन्धित फर्म की प्रगति रिपोर्ट से आगामी बोर्ड में अवगत कराये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।
13	81(14)	तहसील–हरिद्वार के अन्तर्गत ग्राम–जमालपुर, स्थित–फुटबाल ग्राउण्ड को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से जिलाधिकारी को उक्त जमीन का स्वामित्व हस्तान्तरण की कार्यवाही किये जाने तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।
14	81(15)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
15	81(16)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त

Secretary   Vice Chirman   Sd Chairman /Commissioner

क्र.	बैठक/मद	विषय	बोर्ड का निर्णय
16	81(17)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
17	81(18)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
18	81(20)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
19	81(22)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
20	81(23)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
21	81(24)	प्राधिकरण हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना हेतु चयन समिति गठित करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा नये एक्ट के अनुसार कार्यवाही किये जाने की सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त करने के निर्देश दिये गये।
22	83(03)	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं को सम्बन्धित निकायों को हस्तान्तरण प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर निकायों को माह फरवरी तक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
23	83(04)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
24	83(05)	भूपतवाला फ्लाईओवर के नीचे विकसित की जा रही पार्किंग तथा स्पोर्टस जोन की टेण्डर का प्रस्ताव ।	बोर्ड द्वारा निविदा /टेण्डर आदि कार्यवाही माह फरवरी तक पूर्ण किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।
25	83(06)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
26	83(07)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
27	83(08)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
28	83(09)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
29	83(10)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
30	83(11)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त

Secretary

Vice Chirman

Sd

Chairman /Commissioner

क्र.	बैठक मद सं0	विषय	बोर्ड का निर्णय
31	83(12)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
32	83(13)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
33	83(14)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
34	83(15)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
35	83(16)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
36	83(17)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
37	83(18)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
38	83(19)	माधव समर्पण समिति विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्मशाला प्रयोजन की स्वीकृति सम्बन्धी ।	बोर्ड द्वारा प्रकरण में उडा /शासन से प्राप्त होने वाले निर्देश के अनुसार कार्यवाही किये जाने एवं प्रकरण को एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।
39	83(20)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
40	83(21)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
41	83(22)	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	

Secretary

Vice Chirman

Sd

Chairman /Commissioner

क्र.	बैठक मद	विषय	बोर्ड का निर्णय
42	84(04)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
43	84(05)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
44	84(06)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
45	84(07)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
46	84(08)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
47	84(09)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
48	84(10)	श्री अंकुर कुमार पुत्र श्री चमन सिंह के ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या HRDA /NC /0476 /24-25 में 02 फिलिंग स्टेशनों के मध्य शिथिलता के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति व्यक्त की गई।
49	84(11)	श्रीरामपाल सिंह व श्री नवीन कुमार व श्री जनेश्वर प्रसाद व श्री अंबरीश पुत्रगण झल सिंह के ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या HRDA/NC/0238/24-25/RE1 में फिलिंग स्टेशन के भूखण्ड क्षेत्रफल की शिथिलता के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति व्यक्त की गई।
50	84(12)	हरिद्वार में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु शैल्टर होम के निर्माण हेतु गठित अनुबन्ध संख्या–104/2023–24 को समाप्त किये जाने हेतु।	बोर्ड द्वारा अनुपालना से सहमति व्यक्त करते हुए निर्मित शैल्टर होम के कार्य पूर्ण करने तथा उक्त भवन के उपयोग हेतु उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को अधिकृत किया गया।
51	84(13)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
52	84(14)	भूपतवाला, सप्तसरोवर तथा श्रवणनाथ नगर क्षेत्र में चल रही व्यवसायिक गति विधियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सी0टी0सी0पी0 को शासन स्तर पर प्रकरण में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
53	84(15)	आवास एवं विकास में विकसित व्यवसायिक भवनों को गुणदोष के आधार पर नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सी0टी0सी0पी0 को शासन स्तर पर प्रकरण में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
54	84(16)	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
55	84(17)	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	
56	84(18)	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त	

Secretary

Vice Chirman

Sd
Chairman/Commissioner

क्र.	बैठक मद	विषय	बोर्ड का निर्णय
57	84(19)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
58	84(20)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
59	84(21)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
60	84(22)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
61	84(23)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
62	84(24)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
63	84(25)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त
64	84(26)		प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त

मद संख्या 85(03) :– हरिद्वार महायोजना–2041 व रूड़की महायोजना–2041 के सम्बन्ध में ।

अमृत योजना के अन्तर्गत हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की हरिद्वार महायोजना–2041 व रूड़की महायोजना–2041 को तैयार करने का कार्य उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून द्वारा किया जा रहा है। महायोजना प्रारूप तैयार होने के उपरान्त दोनों महायोजनाओं का प्रारूप–2041 का अवलोकन प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड के सभी मा0 सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन मा0 सदस्यों द्वारा किया गया। अवलोकन उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से महायोजना को सभी तहसील कार्यालय व जिला अधिकारी कार्यालय पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ प्रदर्शित करने के निर्देश मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तराखण्ड, देहरादून को दिये गये। बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अपने तकनीकी अभियन्ताओं /अधिकारियों के साथ हरिद्वार महायोजना–2041 व रूड़की महायोजना–2041 को जिलाधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय हरिद्वार व रूड़की में दिनांक 23–08–2025 से 07–10–2025 तक प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शन अवधि में हरिद्वार व रूड़की महायोजना प्रारूप–2041 के सम्बन्ध में आमजन से शिकायत एवं सुझाव नियोजन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त किये गये। प्राप्त शिकायत एवं सुझाव पर शासन स्तर से उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0 की अध्यक्षता में गठित समति द्वारा हरिद्वार एवं रूड़की में सुनवाई की गयी, इस सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतीकरण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा किया जायेगा।

Secretary   Vice Chirman   Sd Chairman /Commissioner

अतः उपरोक्तानुसार बोर्ड के समक्ष हरिद्वार महायोजना-2041 व रूड़की महायोजना-2041 के अनुमोदन उपरान्त स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ /निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः- बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हरिद्वार महायोजना व रूड़की महायोजना के संबंध में अमृत व यू0आर0डी0पी0एफ0आई0 के जोनवार मानकों को शत प्रतिशत कडाई से यथा विधिक प्रक्रिया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । उक्त क्रम में शासन द्वारा गठित समिति द्वारा उपरोक्त सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय यथा कतिपय सम्बन्धितों को सुनवाई आवश्यकतानुसार करते हुए नियमानुसार लिये गये निर्णयों को समाहित करते हुए संशोधित क्षेत्र का संशोधित महायोजना प्रस्ताव उडा को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये, जिस पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

मद संख्या 85(04) :- उत्तराखण्ड शासन के आवास अनुभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-883 दिनांक 10-12-2025 के द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि /विनियम, 2011(समय-समय पर यथा संशोधित) में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में ।

उत्तराखण्ड शासन के आवास अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-883 /ई0नं0-95442 एवं 36983 दिनांक 10-12-2025 के द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की धारा-57 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 समय-समय पर यथा संशोधित) में श्री राज्यपाल उपविधि में संलग्नक-1 एवं 2 के अनुसार संशोधन प्रख्यापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संशोधन सम्बन्धित संलग्नक-1 व 2 संलग्न है। शासन द्वारा उक्त संशोधन को इस आशय से प्रेषित किया गया है कि प्राधिकरण अपने बोर्ड से अधिनियमानुसार अंगीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित

Secretary Vice Chirman Chairman / Commissioner

करें। प्रश्नगत संशोधन प्रस्ताव को कार्यालय आदेश सं0–5140 दिनांक 05–01–2026 के द्वारा प्रसारित कर तकनीकी अधिकारियों /कर्मचारियों से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

अतः उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–883 /ई0नं0–95442 एवं 36983 दिनांक 10–12–2025 के द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973 की धारा–57 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि /विनियम, 2011 समय–समय पर यथा संशोधित) में किये संशोधन को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ /निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना को प्राधिकरण में अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 85(05) :– नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार में विकसित चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट के सम्बन्ध में ।

जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में गठित गंगा संरक्षण समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि वैपकॉस द्वारा विकसित चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट डबलपमेन्ट कार्य को अग्रेत्तर रखरखाव हेतु हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण को हस्तगत कर दिया जाये। प्रश्नगत योजना का स्थल निरीक्षण नमामि गंगे, नगर निगम, उत्तराखण्ड जल संस्थान तथा वैपकॉस के अधिकारियों के साथ किया गया। स्थल पर वैपकॉस द्वारा स्नान घाटों के साथ शमशान घाट भी विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत एस0टी0पी0, हाईमास्ट लाईट–18 नग, स्वीच पोल–13, पार्किंग, कार्यालय, कैन्टीन, जलापूर्ति व्यवस्था सहित ओवर हैड टैक,शौचालय ब्लॉक्स, लॉकर रूम, विद्युत सब स्टेशन, प्रार्थना सभा, 06 दुकानें आदि उपलब्ध है। स्थल पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं में विद्युत कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है। स्थल पर लगाई गई लाईटें भी कार्य नही कर रही है। स्थल पर 62 के0बी0ए0 एवं 250 के0बी0ए0 के दो डी0जी0सेट उपलब्ध है, जो वर्तमान में कार्य नही कर रहे है। स्नान घाट एवं चेन्चिंग रूम में सील्ट /मल्बा भरा पडा है तथा कई स्थानों पर रेलिंग टूटी हुई है। इस प्रकार स्थल पर किये गये कार्यो में वृहद स्तर पर मरम्मत एवं सफाई का कार्य कराया जाना होगा। स्थल पर मरम्मत कार्यो पर एक मुश्त व्यय करने के उपरान्त इसके रख–रखाव पर मासिक व्यय होगा। प्राधिकरण

Secretary Vice Chirman Chairman /Commissioner

द्वारा मरम्मत कार्यो पर होने वाले एक मुश्त व्यय एवं मासिक रख–रखाव का अनुमानित आगणन तैयार किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	स्थल पर हुई टूट–फूट का मरम्मत एवं मलबा, सफाई आदि सिविल कार्य	4.12
2	विद्युत सम्बन्धी हाई मास्ट लाईटों का कार्य	11.57
3	यू0पी0सी0एल0को विद्युत कनेक्शन आदि किये जाने वाले भुगतान	5.00 (लगभग)
	कुल योग (अनुमानित एक मुश्त व्यय)	20.69
1	उद्यानीकरण का मरम्मत एवं रख–रखाव सम्बन्धी कार्य ।	0.38 /प्रतिमाह
2	रख–रखाव एवं संचालन में प्रतिमाह होने वाले अनुमानित व्यय	5.66 /प्रतिमाह
3	विद्युत बिल अनुमानित	2.50से3.00/प्रतिमाह लगभग)
	कुल योग (अनुमानित एक मुश्त व्यय)	9.04

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि स्थल पर उपलब्ध जलापूर्ति व्यवस्था, एस0टी0पी0 एवं विद्युत कार्यो हेतु प्राधिकरण विशेषज्ञ विभाग नही है। इस प्रकार की विकसित अवस्थापना सुविधाओं का रख–रखाव विशेषज्ञ विभाग को हस्तगत कर कराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0 की अध्यक्षता में दिनांक 02–12–2025 में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त संख्या 5068 दिनांक 29–12–2025 तथा संयुक्त स्थल निरीक्षण आख्या दिनांक 06–01–2026 की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ /विचारार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तथा सर्व–सम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थल पर कई कमियाँ पायी गयी जिसे वैपकॉस द्वारा ठीक कराया जाय अथवा उस पर आने वाले व्यय की धनराशि प्राधिकरण को तत्काल हस्तान्तरंण किया जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कये जाने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही जलापूर्ति /एस0टी0पी0 से सम्बन्धित कार्य जल संस्थान हरिद्वार, विद्युत सम्बन्धी कार्य विद्युत विभाग, हरिद्वार एवं सफाई व्यवस्था सम्बन्धी कार्य नगर निगम, हरिद्वार द्वारा किये जाने तथा अन्य आवश्यक उद्यानीकरण /सौन्दर्यीकरण कार्य प्राधिकरण द्वारा किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

Secretary | Vice Chirman | Chairman /Commissioner

मद संख्या 85(06) :– मा0 सुप्रीम कोर्ट के लिये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसरत अधिवक्ता को रिटेनरशिप के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय में प्राधिकरण की ओर से वर्तमान में श्री विनय गर्ग, एडवोकेट, श्री अंकुर खण्डेलवाल, प्राधिकरण के अधिवक्ता पैनल में प्राधिकरण के वादों में प्रतिवाद किये जाने हेतु आबद्ध है। समय–समय पर प्राधिकरण को मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी योजित करने की तुरन्त आवश्यकता होती है। सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी उत्तराखण्ड शासन न्याय विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18–03–2020 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उप महाधिवक्ता को प्रतिमाह रू0 16000/– रिटेनरशिप दिये जाने की व्यवस्था है। प्राधिकरण के विरूद्ध समय–समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय में वाद योजित होते रहते है। श्री हिमांशु कुमार, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया का बायोडाटा प्राप्त हुआ है, जो वर्ष 2022 से मा0 उच्चतम न्यायालय में सिविल, क्रिमिनल व अन्य प्रकरणों पर प्रैक्टिसरत है। बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्राधिकरण हित में श्री हिमांशु कुमार, एडवोकेट , सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया को प्राधिकरण के वादों में प्रतिवाद करने एवं नोटिस प्राप्त करने हेतु रू0 20000/–(बीस हजार मात्र) प्रतिमाह रिटेनर फीस पर प्राधिकरण के एडवोकेट पैनल में आबद्ध कर लिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तथा सर्व–सम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

मद संख्या 85(07) :– ट्रांसपोर्ट नगर के स्वीकृत तलपट मानचित्र के कतिपय भू–खण्डों की मापों एवं क्षेत्रफल में आ रही भिन्नताओं विषयक ।

सराय रोड, ज्वालापुर स्थित प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में कतिपय व्यवसायिक भूखण्डों के सम्मुख नाला विद्यमान है। इस नाले के साथ कतिपय भूखण्डों की मापों एवं क्षेत्रफल में भिन्नता आ रही है। उक्त विद्यमान

Secretary Vice Chirman Chairman /Commissioner

नाले को छोडकर अवशेष स्थलानुसार उपलब्ध भूखण्डों की मापों एवं क्षेत्रफल के अनुसार आवंटियों को विक्रय पत्र निष्पादन किये जाने तथा तलपट मानचित्र में आवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तथा सर्व–सम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

मद संख्या 85(08) :– मैसर्स एच0एन0 कॉरपोरेट द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र सं0 एच0आर0डी0ए0/एल0/0053/25–26 के सम्बन्ध में।

मैसर्स एच0एन0 कॉरपोरेट द्वारा तलपट मानचित्र सं0 एच0आर0डी0ए0/एल0/0039/25–26 प्रस्तुत किया गया था, जो आपत्तियों के निराकरण न करने के कारण निरस्त कर दिया गया है। पुनः आवेदक द्वारा मानचित्र सं0 एच0आर0डी0ए0/एल0/0053/25–26 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत तलपट मानचित्र में पंहुच मार्ग 06.00मी0 चौडा है। भवन उपविधि के अनुसार पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 09.00मी0 होना आवश्यक है। मार्ग शिथिलीकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र सं0 3342 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। शासन द्वारा अपने पत्र सं0 334620 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा उडा के माध्यम से प्राधिकरण एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड से निर्धारित प्रारूप पर सूचना चाही गयी। प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र सं0 3787 दिनांक 07.10.2025 के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड को प्रेषित की गयी। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र सं0 1/51296 दिनांक 27.10.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–33040 दिनांक–30/01/2024 के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 07–06–2022 के अनुसार ग्राम सिसौना ज०मु० के ख०सं०–473, 478, 477, 479म, 482, 483, 476म, 479घ, 484 आंशिक रूप से नदी में टूटे हुए है। उक्त के क्रम में श्री एन०के० सुराना, डायरेक्टर,

Secretary Vice Chirman Chairman /Commissioner

मै० एच०एन० कारपोरेटस प्रा०लि०, नई दिल्ली के द्वारा शासन में प्रस्तुत अपने दिनांक रहित पत्र में शपथपूर्वक यह उल्लेख किया गया है कि दर्शाये गये उक्त नम्बर में से ग्राम सिसौना ज०स० के ख०सं०–473, 478 477, 4794, 482, 483, 4765, 479घ एवं 484 जो आशिक रूप से नदी में टूटे हुए है कि कुल भूमि 2.5019 हैक्टेयर को छोड़ते हुए कुल प्रस्तावित 10.6188 है० भूमि के सापेक्ष शेष बची हुई 8.1169 है० भूमि क्रय की जानी है, जबकि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल 10.6188 है0 में तलपट मानवित्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि तलपट मानचित्र सं0 एच0आर0डी0ए0/एल0/0039/25–26 अस्वीकृत होने के उपरान्त आवेदक मैसर्स एच0एन0 कॉरपोरेट द्वारा पुनः मानचित्र सं0–एच0आर0डी0ए0/एल0/0053/25–26 जमा करायी गयी, जिसके अनुसार प्रस्तुत तलपट मानचित्र का कुल भूखण्ड क्षेत्रफल–77,439.00 वर्गमी0 है, जिसकी सूचना कार्यालय पत्र सं0 4987 दिनांक 20.09.2025 के द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है। प्रश्नगत प्रकरण में पंहुच मार्ग की चौडाई में 3.00 मी0 का शिथिलीकरण प्रदान किया जाना है। शिथिलीकरण प्रदान किये जाने का अधिकार शासन में निहित है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष शासन को संदर्भित किये जाने हेतु निर्णयार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से पहुँच मार्ग में शिथिलीकरण हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

अन्त में उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 अध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं अन्य पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Secretary | Vice Chirman | Chairman/Commissioner